

फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर (FT) मावली, उदयपुर

प्रार्थी : श्रीमती कंकुबाई

किस्म मुकदमा -212 रा.का. अधिनियम

विपक्षी : श्रीमती फेफीबाई

पत्रावली संख्या : 32/22

जीसीएमएस : 2022/97

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्यं तथा सुनारं जारी की गई
	<p>दिनांक : 20.06.2025</p> <p>पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थीया उपस्थित। अधिवक्ता प्रार्थीया की प्रार्थना पत्र आदेश 23 नियम 1 जा.दी.(राजीनामा) पर बहस सुनी गई।</p> <p>पत्रावली का अवलोकन किया गया। अधिवक्ता प्रार्थीया द्वारा उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र आदेश 23 नियम 1 जा.दी.(राजीनामा) विद्घो का पेश कर वाद को इसी स्तर पर विद्घो किये जाने का निवेदन किया। प्रार्थना पत्र आदेश 23 नियम 1 जा.दी.(राजीनामा) को पढकर अधिवक्ता प्रार्थीया को सुनाया गया। जिसे सुन समझकर सही होना स्वीकार किया।</p> <p>चूंकि अधिवक्ता प्रार्थीया अब इस प्रार्थना पत्र में कोई कार्यवाही नहीं चाहते हैं तथा प्रार्थना पत्र को इसी स्तर पर विद्घो कर खारिज करवाना चाहते हैं। ऐसे में वाद को आगे चलाये जाने का कोई औचित्य नहीं है। अतः अधिवक्ता प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 23 नियम 1 जा.दी.(राजीनामा) प्रार्थना पत्र विद्घो का स्वीकार किया जाकर प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का इसी स्तर पर विद्घो फरमाया जाकर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हों।</p> <p>निर्णय खुले न्यायालय सुनाया गया।</p> <p>(रमेश सीरवी पुनाडिया R.A.S.) सहायक कलक्टर (FT) मावली</p>	

